न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 113/2024

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती शकुन्तला बैन पत्नि श्री वेणीलाल व्यास निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्ताव संख्या 3/20 दिनांक 20.09.2008 की पालना में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.09.2008 क्षेत्रफल 429.4 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जॉच जिला स्तरीय सतर्कता समिति में दर्ज परिवाद की अनुपालना में कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी के द्वारा कर विकास अधिकारी के पत्र कमांक परसपि/पंचायत/2024/132 दिनांक 12.01.20224 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही को प्रस्तुत की गई, जिस पर जिला सतर्कता समिति बैठक दिनांक 20.06.2024 को उक्त विकय विलेख की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से जारी विक्रय विलेख की निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती शकुन्तला देवी स्वयं तत्कालीन वार्ड पंच

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

होते हुये भी नियमो की अवहेलना कर स्वयं के पट्टे के निर्णय की बैठक कार्यवाही में भाग लिया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 47 में प्रावधानानुसार यदि किसी सदस्य का स्वयं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित होता हो, तो बैठक में भाग नहीं लिया जा सकता हैं। जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये मौके पर नियत मकान से 03 फीट अधिक पट्टा बनाया गया हैं और जारी विकय विलेख के आपत्ति इश्तिहार पर मौतबिरानो के हस्ताक्षरो का भी अभाव पाया गया। जिससे उक्त विकय विलेख निरस्त योग्य हैं। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) में अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ दिये जाने की नियत से नियमों के विरूद्ध विकय विलेख जारी किया गया है। चूंकि नियम 157 (1) द्वारा जारी विकय विलेख 23–क के अनुसार अवैधानिक प्रकियानुसार है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) में पात्रता नही रखते हुए भी विकय विलेख जारी किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना कर विकय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.09.2008 क्षेत्रफल 429.4 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लघंन नहीं किया है। ग्राम पंचायत रोहिडा को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार होने से उक्त प्रस्ताव विधि अनुसार पारित किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का पुश्तैनी पुराना आवास रोहिडा गाँव कि घनी आबादी के बीच स्थित है, जो 100 वर्ष पुराना अप्रार्थी संख्या दो के दादीया ससुर के समय का बना हुआ है, जिसका पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर बाद जांच जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के विरुद्ध राजनीतिक, द्वेषतावश तथ्यो से परे जॉच की गई है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार पट्टे की पात्रता रखती है जिसमें राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। पट्टा विलेख नियमानुसार जारी किया गया है जिससे निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गई, जो खारिज की जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो कम पढ़ी लिखी महिला है और उसने अपने पुराने पुश्तैनी आवास का पट्टा विलेख बनाने हेतु नियमानुसार आवेदन किया था और बाद जांच नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टे की निर्णय की बैठक में कोई भाग नही लिया है बावजूद इसके सचिव द्वारा हस्ताक्षर करवाए गये होगें तो इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या दो को नही है अन्यथा भी उपरोक्त पट्टा विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की कोई वित्तिय हानि नही हो रही है ना ही अप्रार्थी संख्या दो को किसी प्रकार वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। यह कि मौके पर जितना पुराना आवास बना हुआ है उतना ही पट्टा विलेख जारी किया हुआ है। ऐसे में मकान से 3 फीट अधिक भूमि का पट्टा बनाने का सवाल ही नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा विलेख जारी करने में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित लाभ नही हुआ है। ना ही किसी भी प्रकार का कोई अनुचित लाभ अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को दिया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार की योजना अनुसार पुराने बने आवासों के पट्टा विलेख जारी करने का ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति द्वारा पट्टा विलेख जारी करने का प्रस्ताव लिया था, जिसमे प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा 31 व्यक्तियों को तथा प्रस्ताव संख्या 3 के जरिए 33 लोगो को पट्टा जारी किया गया था, जिसमे प्रस्ताव संख्या 03 में अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा विलेख जारी किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर अप्रार्थी संख्या दो के कोई हस्ताक्षर नही है, बावजूद इसके उपरोक्त प्रस्ताव लेने से ग्राम पंचायत अथवा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और ऐसे मे अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अगर बैठक में हिस्सा लिया भी गया है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नही थी। ऐसे में केवल राजनीतिक द्वेषतावश निगरानी प्रस्तुत की गई है। जो खारीज योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारीज करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.09.2008 क्षेत्रफल 429.4 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती शकुन्तला देवी स्वयं तत्कालीन वार्ड पंच होते हुये भी नियमो की अवहेलना कर स्वयं के पट्टे के निर्णय की बैठक कार्यवाही में भाग लिया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 47 में प्रावधानानुसार यदि किसी सदस्य का स्वयं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित होता हो, तो बैठक में भाग नहीं लिया जा सकता हैं। जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य हैं। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टे की निर्णय की बैठक में कोई भाग नही लिया है, बावजूद इसके सचिव द्वारा हस्ताक्षर करवाए गये होगें तो इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या दो को नही है अन्यथा भी उपरोक्त पट्टा विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की कोई वित्तिय हानि नही हो रही है ना ही अप्रार्थी संख्या दो को किसी प्रकार वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 20.09.2008 को प्रस्ताव संख्या 3/20 पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो का पट्टे के निर्णय की बैठक कार्यवाही में भाग लिए जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 47 के प्रावधानानुसार बैठक की अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी किसी भी सदस्य को ऐसे किसी विषय की चर्चा में मतदान करने या भाग लेने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जिसमें उसे यह विश्वास है कि जनता पर उसके साधारण लागू करण के अलावा ऐसे सदस्य का स्वयं का भागीदार के रूप में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है। जबकि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती शकुन्तलादेवी की स्वयं की परिसम्पत्ति का नियमों के तहत नियमन किया गया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा अपनी सम्पत्ति (आबादी भूमि) में से अप्रार्थी संख्या दो को आवंटन किया जाता या ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

द्वारा अप्रार्थी संख्या दो राज्य सरकार की किसी योजना में लाभान्वित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या दो का धनीय हित प्रभावित होता। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.09.2008 में अप्रार्थी संख्या दो को ना तो कोई आबादी भूमि में से आवंटन किया गया है और ना ही राज्य सरकार की किसी योजना में लाभान्वित किया गया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या दो की स्वयं की भूमि का विनियमितिकरण किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत रोहिडा को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो का उक्त प्रस्ताव पारित होने से किसी भी रूप में धनीय हित प्रभावित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा किया गया यह कथन कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से मौके पर स्थित मकान से 03 फीट अधिक पट्टा बनाया गया हैं एवं जारी विक्रय विलेख के आपत्ति इश्तिहार पर मौतबिरानो के हस्ताक्षरो का भी अभाव पाया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित तो किया गया है कि उक्त विवादित विक्रय विलेख मौके पर स्थित मकान से 03 फीट अधिक माप का पट्टा जारी किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त वादग्रस्त पट्टा मौके पर स्थित मकान से 03 फीट अधिक माप का बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विक्रय विलेख को जारी करने में आपत्ति इश्तिहार पर मौतबिरानो के हस्ताक्षरो नहीं करवाए गए है तो यह ग्राम पंचायत द्वारा की गई भूल है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 47 दिनांक 20.09.2008 क्षेत्रफल 429.4 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner